तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 90/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.6.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी जेठाराम पुत्र श्री हीराराम चौधरी, निवासी– पुजारी वाली गली, मुण्डारा, तहसील– बाली, निवासी– जिला– पाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म प्रियंका होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 27, गांव– भीमाना, तहसील–पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 30.3.2022 को फर्म प्रियंका होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 27, ग्राम– भिमाना, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जेठाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ नमकीन (खण्डेलवाल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1783 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./965/Act/ 2022/947 दिनांक 12.4.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी जेठाराम ने इस न्यायालय में आज दिनांक 28.6.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि उसने नमकीन (खण्डेलवाल ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से क्रय किया था जिसका बिल उसके पास नही है। अतः कम से कम जुर्माना करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 30.3.2022 को फर्म प्रियंका होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 27, ग्राम भीमाना, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जेठाराम से प्रियंका होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट के अन्दर आलमारी की रैक में रखे हुए खाद्य पदार्थ नमकीन (खण्डेवाल ब्राण्ड) के 20 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ नमकीन (खण्डेलवाल ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 [illegible] के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते [illegible] खाद्य पदार्थ नमकीन (खण्डेलवाल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1783 [illegible] हेतु खाद्य ....लगातार	

वरि. सिविल न्यायाधीश
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:30:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.s.Act Case No. 90/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./965/Act/ 2022/947 दिनांक 12.4.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Muisbranded) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि फर्म प्रियंका होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट में प्रतिवादी जेठाराम द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ नमकीन (खण्डेलवाल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ नमकीन (खण्डेलवाल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी जेठाराम पुत्र श्री हीराराम चौधरी, निवासी– पुजारी वाली गली, मुण्डारा, तहसील– बाली, निवासी– जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म प्रियंका होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 27, गांव– भीमाना, तहसील–पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 4,000/– (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी जेठाराम को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 08.8.2023 को पेश हो। (के.आर. खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:30:20 IST
Reason: SelfAttested